संख्या-12/2025 /2025/ 001-322-2025-1811767-12-2099-84-2024

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-कृ0र0/2301/लेखा/पौध संर0/2024-25 दिनांक 28 फरवरी, 2025 एवं संख्या-2464/कृ0र0/लेखा/पौध संर0/2024-25 दिनांक 18 मार्च, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध धनराशि रू0 11394.59 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में रू0 116.00 लाख पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रपत्र बीएम-9 के आलेख्य पर आर.ई.संख्या-बजट-1-753 दिनांक 24.03.2025 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशा0 विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,16,00,000 (रुपये एक करोड़ सोलह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा मानक मद 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-12/2025 /2025/ 001-322-2025-1811767-12-2099-84-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(3) प्रधान महालेखाकार(सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) सम्बन्धित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

(7) सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय)कृषि भवन, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गुन्जन दुबे

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gc

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-259 - 2025 - 1811767 - 12 - 2099 - 84 - 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या - 11 के लेखाशीर्षक 2401 - फसल कृषि कर्म - 107 - वनस्पति संरक्षण - 03 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना हेतु पुनर्विनियोग।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	01 (वेतन)	1,13,94,59,000 रुपये एक अरब तेरह करोड़ चौरानबे लाख उनसठ हजार मात्र	2,00,35,600 रुपये दो करोड़ पैंतीस हजार छह सौ मात्र	-1,70,95,000 रुपये एक करोड़ सत्तर लाख पंचानबे हजार मात्र	11600000	- 11299184-00	2024-2025

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	49 (चिकित्सा व्यय)	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	1,16,00,000 रुपये एक करोड़ सोलह लाख मात्र	11600000	15100000	2024-2025
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	42 (अन्य व्यय)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	0.00	200000	2024-2025
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	29 (अनुरक्षण)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र	0.00	250,000	2024-2025
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	0.00	2500000	2024-2025
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा	10 (जलकर / जल	1,50,000 रुपये एक लाख	12,45,000 रुपये बारह लाख	0.00	150000	2024-2025

	तथा कृषि रक्षा सेवा)	प्रभार)	पचास हजार मात्र	पैंतालीस हजार मात्र			

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1 - स्तम्भ - 3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष - 4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

अ - वास्तविक मांग के आधार पर कार्मिकों के सेवानिवृत्त/स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप पद रिक्त होने के कारण मानक मद - 01 वेतन में बचत है।

2 - स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

ब - 10 - जलकरजनप्रभार, 49 - चिकित्सा व्यय मद, 15 - गाड़ियो का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद, 42 - अन्य व्यय - 29 - अनुरक्षण में वास्तविक मांग अधिक होने के फलस्वरूप आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण

3 - प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं०-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-< 9352-1-753 24 > -2024-25, दिनांक- मार्च, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Gunjan Dubey

(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

Signed by (रमेश चन्द्र तिवारी)
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 24-03-2025 14:28:56

संख्या : < > / < >, < > दिनांक मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र0।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन को बी0एम0-9 की तीन प्रतियाँ सहित।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Gunjan Dubey

(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।